न्यायालयः—मंजूषा तेकाम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला—दतिया म.प्र.

Registration No. ST/ 02 /2025
Filing No.36/2025
C.N.R.No.MP3201-000057-2025
Filling Date.07-01-2025

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना कोतवाली जिला दतिया म.प्र.

.....अभियोजन

बनाम

01. शेरू उर्फ शेरसिंह पाल पुत्र बल्ली पाल, आयु—24 वर्ष
02. चंदन सिंह पुत्र विजय सिंह पाल, आयु—22 वर्ष
03. राहुल पुत्र लखनलाल पाल आयु—31 वर्ष
04. सोनू पु संतोष पाल आयु—21 वर्ष
05. विशाल पुत्र कोमल पाल आयु—20 वर्ष
06. संतोष पुत्र नारायणदास पाल आयु—44 वर्ष

समस्त निवासीगण— अंधेरपुरा चूनगर फाटक दतिया म.प्र.

.....अभियुक्तगण

दिनांक—25.06.2025

राज्य द्वारा श्री मनोज सिंह चौहान लोक अभियोजक उप.।
अभियुक्तगण राहुल, सोनू, शेरसिंह, चंदन, विशाल, संतोष सहित श्री अनिल अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आई.ए. नंबर—02 पर तर्क/विचार हेतु नियत है।

उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

प्रार्थी नवल पाल ने आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—239 बीएनएसएस का प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रकरण में रात्रि 20:45 बजे घटना कारित हुई हैं। घटना में अभियुक्तगण द्वारा घर में घुस कर रिंकू पाल, केषकली व चतुरसिंह की मारपीट की गई, जिसमें रिंकू पाल को हाथ में फ्रेक्चर पाया गया है, जिस कारण प्रथम दृश्ट्या धारा—331(8) बीएनएस का आरोप बनता है। न्यायालय द्वारा उक्त धारा में आरोप विरचित नहीं किये है। उक्त आरोप विरचित किया जाना आवष्यक है। अतः उक्त आवेदन पत्र स्वीकार कर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा—331(8) बीएनएस का अतिरिक्त आरोप विरचित किये जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में लिखित जवाब न देना व्यक्त कर मौखिक आपत्ति की है कि प्रकरण में अभिलेख अनुसार आरोप पत्र विरचित किये जा चुके हैं।

प्रकरण का परिषीलन किया गया।

प्रकरण के परिषीलन से घटना दिनांक—10.09.2024 की होना

तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–115(2), 118(1), 296, 351(3), 331(5), 3(5) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना दर्षित है। जिसके पश्चात् प्रकरण के विचारण की क्षेत्राधिकारिता बीएनएसएस की वर्णित सूची–1 के अनुसार निर्धारित होने के आधार पर धारा–331(7) बीएनएस का अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मानते हुए प्रकरण उपार्पित किया गया है। उपार्पण पश्चात् यह प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रकरण के परिषीलन से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–115(2), 118(1), 296, 351(3), 331(5), 3(5) बीएनएस एवं इजाफा धारा–331(7) बीएनएस के तहत् आरोप विरचित किए गए हैं। अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–191(2), 191, 115(3–शीर्ष), 118(2), 117(2), 296, 351(2/3) बीएनएस के तहत् अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये है। प्रकरण में चूंकि प्रार्थी नवल पाल ने अभियुक्तगण द्वारा रात्रि 20:45 बजे घर में घुसकर रिंकू केषकली एवं चतुरसिंह के साथ मारपीट किये जाने से अभियुक्तगण के विरूद्ध अतिरिक्त धारा–331(7) बीएनएस के तहत् आरोप विरचित किये जाने का अभिवचन किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से अभियुक्तगण द्वारा रात्रि 20:45 बजे प्रार्थी नवल पाल के घर में घुसकर मारपीट किये जाने के संबंध में धारा–331(5) बीएनएस के तहत् अपराध बनने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध होना दर्षित है, किंतु अभिलेख अनुसार अभियुक्तगण प्रार्थी चतुर सिंह को उसके आंगन में घुसकर मारपीट करने से उपहति कारित होने के संबंध में चिकित्सीय दस्तावेज संलग्न है। तबकि स्थिति अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–331(7) के तहत् अपराध बनने के आधार प्रथम दृश्ट्या दर्षित नहीं है। जहां तक आहत रिंकू एवं केषकली को गंभीर उपहति होने के संबंध में धारा–331(7) बीएनएस के तहत् अपराध कारित करने के संबंध में अभियोग पत्र अनुसार यह तथ्य स्पश्ट है कि रिंकू एवं केषकली स्वयं चतुर सिंह के घर पर बीच–बचाव हेतु गये थे। तब धारा–331(7)बीएनएस उक्त आहतगण के संबंध में आकर्शित नहीं होती है। उपरोक्त स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–191(2), 191, 115(3–र्षीश), 118(2), 117(2), 296, 351(2/3), 331(5), 331(6) बीएनएस के तहत् अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध बनने के संबंध में पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध है। चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–191(2), 191, 115(3–र्षीश), 118(2), 117(2), 296, 351(2/3), 331(5), 331(6) बीएनएस के अपराध के संबंध में विचारण के क्षेत्राधिकार का प्रष्न है तो इस संबंध में अभियोग पत्र के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की धारा–191(2), 191, 115(3–र्षीश), 118(2), 117(2), 296,

351(2/3), 331(5), 331(6) बीएनएस के विचारण की क्षेत्राधिकारिता बीएनएसएस की वर्णित सूची–1 के अनुसार की जावेगी अर्थात् धारा–191(2), 191, 115(3–र्षीश), 118(2), 117(2), 296, 351(2/3), 331(5), 331(6) बीएनएस के विचारण के क्षेत्राधिकारिता प्रथम वर्ग मजिस्ट्रैट को प्राप्त है।

उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की धारा–191(2), 191, 115(3–र्षीश), 118(2), 117(2), 296, 351(2/3), 331(5), 331(6) बीएनएस की धारा–531 की प्रथम अनुसूची के भाग–एक के तहत् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को है। अतः प्रार्थी नवल द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र को तद्नुसार निराकृत किया जाता है।

अतः उक्त प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीबद्ध/आरोपित अपराध की धारा–191(2), 191, 115(3–र्षीश), 118(2), 117(2), 296, 351(2/3), 331(5), 331(6) बीएनएस को दृश्टिगत रखते हुए उक्त धारा के विचारण हेतु संबंधित प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकरण के उचित निराकरण के लिए अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय को वापस किया जाता है।

प्रकरण में अभियुक्तगण जमानत पर हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को निर्देषित किया जाता है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष आगामी तिथि को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–12.07.2025 को उपस्थित रहें।

प्रकरण का परिणाम सीआईएस में दर्ज कर पत्रावली को अभिलेखागार में जमा किया जावे।

//सही//
(मंजूषा तेकाम)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के
न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश,
जिला–दतिया म.प्र.

MANJUSHA TEKAM
Digitally signed by MANJUSHA TEKAM
Date: 2025.06.25 17:13:25 +0530